5

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 2641–दो/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 10–06–13 पारित अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 227/2009–10 निगरानी.

मुन्नालाल सोनी तनय बैजनाथ सोनी,
निवासी पिपरसानिया मुहल्ला, छतरपुर,
जिला छतरपुर, म0प्र0

—— आवेदक

विरूध्द

कुंवर विकम सिंह उर्फ नातीराजा
तनय स्व. बलवंतसिंह,
निवासी नारायणबाग कोठी, छतरपुर,
हाल पैलेस खजुराहों, जिला छतरपुर

—— अनावेदक

श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक – आवेदक
श्री प्रदीप श्रीवास्तवे, अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 20.5.2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर के निगरानी प्रकरण कमांक 227/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 10–06–13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक मुन्नालाल सोनी व्दारा खसरा नं0 3664/3 के सीमांकन हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार व्दारा दिनांक 9–2–10 को प्रकरण पंजीबध्द कर राजस्व निरीक्षक को आवेदित भूमि के सीमांकन एवं नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आदेश जारी करने के आदेश दिये। दिनांक 20–3–10 को राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कर तरमीम एवं सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 04–04–10 तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार के समक्ष दिनांक 26–4–10 को आपत्तिकर्त्ता की ओर से अधिवक्ता श्री बी.डी. गुप्ता की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गयी। अपर कलेक्टर व्दारा निगरानी प्र0क0 227/09–10 में स्थगन आदेश देने व न्यायालय का मूल प्रकण तलब करने से तहसीलदार व्दारा प्रकरण अपर कलेक्टर को भेजने के आदेश दिये। आवेदक व्दारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 9–2–10 के विरूध्द निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 10–6–13 व्दारा खारिज किया है। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक व्दारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के सीमांकन एवं नक्शा तरमीम हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में प्रकरण विचाराधीन नही है, बल्कि यह प्रकण सर्वे क0 3664/5 के सीमांकन से संबंधित है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी नहीं है। तहसील न्यायालय व्दारा किया गया नामान्तरण

अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील में निरस्त किया जा चुका है जिसे निगरानी में कलेक्टर व्दारा यथावत रखा गया है तथा राजस्व मण्डल में आवेदक व्दारा निगरानी प्रस्तुत की गयी है। आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी नहीं है, इसलिये उसे सीमांकन/नक्शा तरमीम कराने की अधिकारिता नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ आवेदक ने निगरानी आवेदनपत्र में स्वंय यह अंकित किया है कि आवेदक का नामान्तरण निरस्त किया गया है जिसके विरूध्द आवेदक व्दारा राजस्व मण्डल में प्रकरण कमांक 4252--दो/12 प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। ऐसी दशा में जब आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का अभिलिखित भूमिस्वामी नहीं है, तब उसे आवेदन प्रस्तुत कर सीमांकन/नक्शा तरमीम कराने की अधिकारिता नहीं है। ऐसी दशा में अपर कलेक्टर व्दारा आवेदक का निगरानी आवेदन खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 10--06--13 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0